Acन आर्डर नं. ५६६

फर्द अहकाम

सरकार बनाम छीतरमल

यालय

ख्या 542/08 डाबड़ी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
23/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप। उभय पक्ष की पुकार। बहस पूरी नहीं। वास्ते आदेश दिनांक 7/10/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
07/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। वास्ते आदेश दिनांक 13/10/2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	
13/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वाद, वादीगण डिक्री किया जाता है, कि वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जयपुर के पुराने ख.न. 291 रकबा 14 बिस्वा जिसके वर्तमान नया ख. नम्बर 457 रकबा 0.1800 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 542/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक –01.11.2007

प्रभात जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट (मृतक दौराने दावा)

1/1–नाथी देवी पत्नी स्व. श्री प्रभात जाट
1/2–भूरी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/3–पिंकी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/4–सोनी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/5–सीता देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/6–तारादेवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/7–कोयली देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/8–हरलाल पुत्र स्व. श्री प्रभात जाट
1/9–रामलाल पुत्र स्व. श्री प्रभात जाट
1/10–कालू राम पुत्र स्व. श्री प्रभात जाट

समस्त निवासीयान–ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. रामनारायण जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट, (मृतक दौराने दावा)

2/1–श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी स्व. रामनारायण जाट
2/2–प्रियंका देवी पुत्री स्व. रामनारायण जाट
2/3–सीता देवी पुत्री स्व. रामनारायण जाट
2/4–अशोक पुत्र स्व. रामनारायण जाट
2/5–सुशीला देवी पुत्री स्व. रामनारायण जाट
2/6– मदन पुत्र स्व. रामनारायण जाट

समस्त निवासीयान–ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)

3. भगवान सहाय जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट,
4. बाबूलाल जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट
5. श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्व. श्री कानाराम जाट
6. श्रीमती रूकवा देवी पुत्री स्व. श्री कानाराम जाट

समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान–गोविनदपुरा, ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर (राज.)

...वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र स्व. श्री बिन्जा, (मृतक दौराने दावा)

1/1 रामसिंह पुत्र स्व. छीतर
1/2 कालूराम पुत्र स्व. छीतर
1/3 श्रीमती रमसा देवी धर्मपत्नी स्व. छीतर
1/4 श्रीमती गंगा देवी पुत्री स्व. छीतर
1/5 श्रीमती नन्दी देवी पुत्री स्व. छीतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1/6 श्रीमती ज्ञाना देवी पुत्री स्व. छीतर
समस्त निवासीयान–ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र स्व. श्री बिन्जा, (मृतक दौराने दावा)
3. ननच्या पुत्र स्वर्गीय श्री बिंजा,
समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान– गोविन्दपुरा, ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री भूपेन्द्र भारद्वाज – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 13.10.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्व. श्री कानाराम के पुत्र है एवं वादी संख्या 5 व 6 स्व. कानाराम की पुत्रीयां है, जोकि स्वर्गीय कानाराम के बाद उसके वारिसान है। वादीगण के पिता स्व. कानाराम ने प्रतिवादीगण एवं ग्यारसा पुत्र श्री लादू से उनकी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 291 रकबा 14 बिस्वा, जिसके वर्तमान नया खसरा नंबर 447 रकबा 0.1800 हैक्टेयर जोकि ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.07.1979 को खरीद किया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का आधा हिस्सा था। वादीगण के पिता द्वारा उपरोक्त आराजी को क्रय करने के बाद उस पर पुख्ता मकान बनाकर रिहायश कर रहे है, जिसमें वर्तमान में वादीगण सपरिवार रिहायश कर अपने पशु बांधने चारे इत्यादि के काम में लेते आ रहे है। प्रतिवादीगण के द्वारा विक्रय की गई उक्त आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 व ग्यारसा पुत्र लादू के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण तो वादीगण के स्वर्गीय पिता के नाम दिनांक 16.10.1979 को दर्ज हो गया था, जो वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। वादी संख्या 5 व 6 ने अपने हिस्से की आराजी का त्याग पत्र वादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया था। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के [illegible] से उपरोक्त आराजी में उनके 1/3 हिस्से का नामान्तकरण वादीगण के [illegible] के नाम दर्ज नही हो सका। जबकि सभी प्रतिवादीगण ने सहमति [illegible] पत्र पंजी[illegible] कराकर उक्त आराजी का कब्जा भी वादीगण के पिता को संभला [illegible] में वादीगण सपरिवार पुख्ता मकानात बनाकर रिहायश कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काफी वर्षों पूर्व बालिग हो चुके

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है तथा वादीगण उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण स्वंय के नाम पर दर्ज करवाना चाहते है। उक्त विक्रय की गई आराजी का नामान्तकरण वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की नियत में बढती हुई जमीनो के दामो के कारण फितूर आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण की उपरोक्त आराजी को विक्रय करने की धमकी दे रहे है तथा स्वंय के नाम से दर्ज नामान्तकरण का सहारा लेकर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने को उतारू है, जिसका की प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कोई कानूनी अधिकार नही है। उपरोक्त आराजी पर आज भी वादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा वे ही संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर सपरिवार रिहायश कर रहे है, इसलिये उक्त भूमि वादग्रस्त मामला है। जिसके संबंध में वादीगण यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 9.07.1979 व उसके बाद से ही वादीगण का सपरिवार कब्जा काश्त निरन्तर होने से वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकार है कि वादीगण के नाम से उक्त भूमि का खातेदार–काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम से अंकन कराने के अधिकारी है व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम जो वादग्रस्त भूमि दर्ज हो रखी है, उसका नामान्तकरण वादीगण के नाम दर्ज किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश नहीं किया अतः दिनांक 09.04.2013 को जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि यहां क वाद पत्र के मद सं. 1 एक जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है, उत्तरदाता द्वारा कोई जमीन विक्रय नही की गई तथा वादी ने उत्तरदाता के हिस्से की भूमि पर कोई मकानात नही बसाये है, प्रतिवादी ही उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वाद पत्र का मद सं. 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है, तथा प्रतिवादी व 3 काफी वर्ष पहले ही बालिक हो चुके हैं, नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 16.10.1979 का खारिज किया गया है, जिसकी जानकारी वादीगण को प्रारंभ सही थी जिसकी आज दिनांक तक अपील प्रस्तुत नहीं की गई है इस कारण वाद चलने योग्य नही है। वाद पत्र का मद से. 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से ही दर्ज चला आ रहा है। वाद पत्रका मद सं. 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है, मौके पर उत्तरदाता

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के हिस्से की जमीन खाली पडी है। जिस पर प्रतिवादी स्वयं काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वाद पत्र का मद सं. 5 जिस प्रकार से वर्षित किया गया है, अस्वीकारहै, क्योकि विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1989 उत्तरदाता द्वारा तस्दीक नहीं किया गया तथा नाबालिग की भूमि को यदि किसी के द्वारा विक्रय भी कर दी है, तो इस प्रकार का किया गया विक्रय पत्र उत्तरदाता के अधिकारों के प्रति प्रारंभ से ही शुन्य है। मद सं. 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है, उत्तरदाता अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, तथा उक्त विवादित भूमि सह खातेदारक की भूमि है, जिसका अभी तक विधिवत तकासमा नही हुआ है। वाद पत्र का मद सं. 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है, तथा उत्तरदाता को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का वादी को कोई अधिकार प्राप्त नही है।

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 रामनारायण जाट पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
2. PW2 बाबूलाल पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
3. PW3 अशोक पुत्र स्व. श्री रामनारायण जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी खाता संख्या 286 संवत 2075–78 प्रदर्श–1, विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 प्रदर्श–2, नामान्तकरण प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र कानाराम प्रदर्श–5, ग्राम पंचायत जयरामपुरा का वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, वादी संख्या 5 एवं 6 के द्वारा किया गया हक त्याग पत्र प्रदर्श–7, मृत्यु प्रमाण पत्र रामनारायण प्रदर्श–8 पेश किया।

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1 DW1 रामस्वरूप पुत्र छीतर निवासी ग्राम गोविन्दपरा तहसील जालसू, जिला जयपुर राजस्थान।

2 DW2 कालूराम पुत्र छीतर निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेज साक्ष्य में प्रतिवादी पक्ष द्वारा भूमि वाद पत्र की संवत 2075–78 की जमाबंदी नकल प्रदर्श– ए–1, प्रतिवादीगण ने प्रदर्शित करवाई।

पत्रावली में प्रस्तुत अभिवचनों व प्रस्तुत साक्ष्य का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया विवादित भूमि खसरा नं. 291 रकबा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नं. 447 रकबा 0.1800 है० वाकै ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है को जरिये

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 को खरीद किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का आधा हिस्सा था ? जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व ग्यारसा पुत्र लादू के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण को वादी के स्व० के पिता के नाम दिनांक 16.10.1979 को दर्ज हो गया था, जो वादीगण के पिता के मृत्यु के पश्चात् वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हैं, वादी संख्या 5 व 6 ने अपने हिस्से की आराजी का त्याग–पत्र वादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया था, परून्तु प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के नाबालिक होने के वजह से उनके 1/3 हिस्से का नामान्तकरण वादीगण के स्व० पिता के नाम दर्ज नहीं हो सका:–

.....वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम के स्थान पर अपने खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है:–

.....वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 2 व 3 में वादीगंण को कोई जमीन विक्रय नहीं की प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काफी पहलें ही बालिक हो चुके थे नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 16.10.1979 को खारिज किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम खातेदारी में चला आ रहा है नाबालिग की भूमि को यदि किसी के द्वारा विक्रय भी कर दी हैं तो इस प्रकार का किया गया विक्रय उनके अधिकरो के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य हैं :–

.....प्रतिवादी संख्या 2 और 3

4. दादरसी

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। तनकी संख्या 1 मे रजिस्टर्ड विकय पत्र की दिनांक 09.07.1997 सहवहन से दर्ज हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर 09.07.1979 पढा गया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया विवादित भूमि खसरा नं. 291 रकबा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नं. 447 रकबा 0.1800 है० वाकै ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 को खरीद किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का आधा हिस्सा था ? जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व ग्यारसा पुत्र लादू के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण को वादी के स्व० के पिता के नाम दिनांक 16.10.1979 को दर्ज हो गया था, जो वादीगण के पिता के मृत्यु के पश्चात् वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हैं, वादी संख्या 5 व 6 ने अपने हिस्से की आराजी का त्याग–पत्र वादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया था, परून्तु प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के नाबालिक होने के वजह से उनके 1/3 हिस्से का नामान्तकरण वादीगण के स्व० पिता के नाम दर्ज नहीं हो सका:–

.....वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम के स्थान पर अपने खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है:–

.....वादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने उक्त तनकी के समर्थन में साक्ष्य में जमाबंदी खाता संख्या 286 संवत 2075–78 प्रदर्श–1, विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 प्रदर्श–2, नामान्तकरण प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र कानाराम प्रदर्श–5, ग्राम पंचायत जयरामपुरा का वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, वादी संख्या 5 एवं 6 के द्वारा किया गया हक त्याग पत्र प्रदर्श–7, मृत्यु प्रमाण पत्र रामनारायण प्रदर्श–8 प्रदर्शित करवाया है। इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य के रूप में बाबूलाल पुत्र स्व. कानाराम (PW-1), अशोक पुत्र स्व. श्री रामनारायण (PW-2) के बयान मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

वादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्व. श्री कानाराम के पुत्र है एवं वादी संख्या 5 व 6 स्व. कानाराम की पुत्रीयां है, जोकि स्वर्गीय कानाराम के बाद उसके वारिसान है। वादीगण के पिता स्व. कानाराम ने प्रतिवादीगण एवं ग्यारसा पुत्र श्री लादू से उनकी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 291 रकबा 14 बिस्वा, जिसके वर्तमान नया खसरा नंबर 447 रकबा 0.1800 हैक्टेयर जोकि ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है जोकि प्रदर्श– 1 से साबित है को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.07. 1979 को खरीद किया था जो कि प्रदर्श – 2 विक्रय पत्र से साबित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का आधा हिस्सा था। प्रतिवादी संख्या 1 व ग्यारसा पुत्र लादू के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण तो वादीगण के स्वर्गीय पिता के नाम दिनांक 16.10.1979 को दर्ज हो गया था, जो वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। वादी संख्या 5 व 6 ने अपने हिस्से की आराजी का त्याग पत्र वादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया था। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाबालिग होने की वजह से उपरोक्त आराजी में उनके 1/3 हिस्से का नामान्तकरण वादीगण के स्वर्गीय पिता के नाम दर्ज नही हो सका जो कि प्रदर्श 3 नामान्तकरण से साबित है। इस मामले में, प्रतिवादी ने जाहिर किया है कि नाबालिग का अभिभावक अदालत की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं बेच सकता है। परन्तु यहां यह उल्लेखनिय है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 को नाबालिग थे। तथा इस वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 ने अपने जवाब दावा दिनांक 03.11.2010 में कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 काफी वर्ष पहले ही बालिग हो चुके है। यह वाद पत्र दिनांक 01.11.2007 को दर्ज रजिस्टर हुआ तथा आज तक लम्बित है अर्थात यह भी नहीं माना जा सकता की प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को जानकारी नही रही हो। प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 ने बालिग होने के कई सालो उपरान्त भी विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। सीमाबद्धता अधिनियम की धारा 60 के अनुसार यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किसी अभिभावक द्वारा नाबालिग की संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, तो उसे निरस्त करने हेतुः

(अ) यदि वयस्क हो चुका नाबालिग आवेदन करता है – अवधि। तीन वर्ष, जो वयस्कता प्राप्त करने की तिथि से प्रारंभ होगी।

(ब) यदि नाबालिग की ओर से उसका वैधानिक प्रतिनिधि आवेदन करता है – (1) यदि नाबालिग वयस्कता प्राप्त करने के तीन वर्षों के भीतर मृत्य को प्राप्त हो जाए – (2) यदि नाबालिग वयस्कता प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए– अवधिः तीन वर्ष, जो नाबालिग की मृत्यु की तिथि से प्रारंभ होगी। अतः उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार प्रतिवादियों की यह प्रतिरक्षा पहले ही समयबद्धता से बाधित हो चुकी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह सीमा अवधि तीन साल से अधिक बढ़ सकती है, खासकर अगर नाबालिग को बेचान के बारे में पता नहीं था या अगर कुछ अन्य कानूनी कारण हों। परन्तु यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 ने यह कही भी जाहिर अथवा साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जानकारी नहीं हो, जहां इन्कारी नही हो वहां सही मानने की अवधारणा मानी जाती है। तथा गवाह प्रतिवादी रामस्वरूप DW 2 ने अपने बयानो में स्पष्ट कथन किया है कि प्रदर्श–2 विक्रय पत्र को निरस्त कराने की अपने जीवनकाल में हनुमान व नान्छा ने कोई कार्यवाही की या नहीं उसकी मुझे जानकारी नहीं है ना ही कोई कार्यवाही की। और इस सिद्धांत की पुष्टि माननीय सर्वोच्य न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भी अनेक प्रकरणों में की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने मुरुगम एवं अन्य बनाम केसव गाउंडर (मृत) उसके वैधानिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य (2019) के वाद में यह प्रतिपादित किया कि वादियों का वाद सीमाबद्धता अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत समय–सीमा से बाधित था. क्योंकि प्राकृतिक अभिभावक द्वारा किया संपत्ति का परित्याग शून्यकारी न होकर शून्ययोग्य होता है जिसे विधिक रुप से निर्धारित समय के भीतर चुनौती देना अनिवार्य है। इस प्रकार का मत माननीय उडीसा उच्च न्यायालय एसएमटी. मलटिलता मिश्रा एवं अन्य बनाम केशब चंद्र महापात्र (निर्णय दिनांक 22 सिमम्बर, 2017) में भी व्यक्त किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यदि वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष बीत जाने के वाद दायर किया जाता है तो वह समयबद्धता से बाधित माना जाएगा, और इस अवधि के पश्चात कोई भी व्यक्ति संपत्ति पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। अतः उपर्युक्त दोनों निर्णयों के आलोक में यह निर्विवाद रुप से सिद्ध होता है कि प्रतिवादियों का यह प्रतिरक्षा विधिसम्मत नहीं है और सीमाबद्धता की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उनका दावा विवादित आराजी पर अस्वीकार [illegible] के गवाह रामस्वरुप जाट व कालूराम का विवादित आराजी से कोइ सम्बन्ध नहीं है। रामस्वरुप जाट व कालूराम के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पिताजी छीतर ने ही अपने नाबालिग भाईयो कि जमीन का विक्रय पत्र पंजीकृत कराया था और विक्रय कि गई सम्पुर्ण आराजी का कब्जा भी वादीगण के पिता कानाराम जाट को सभंला दिया गया था तथा वर्तमान में वादीगण काबिज है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वादीगण ने उक्त तनकी संख्या 1 एवं 2 बखूबी साबित की है।

3. आया प्रतिवादी संख्या 2 व 3 में वादीगंण को कोई जमीन विक्रय नहीं की प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काफी पहलें ही बालिक हो चुके थे नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 16.10.1979 को खारिज किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम खातेदारी में चला आ रहा है नाबालिग की भूमि को यदि किसी के द्वारा विक्रय भी कर दी हैं तो इस प्रकार का किया गया विक्रय उनके अधिकरो के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य हैं :–

.....प्रतिवादी संख्या 2 और 3

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 पर है। प्रदर्श–3 नामांतकरण पंजीका के कॉलम नम्बर 1 के अंकित किया गया है कि यह नामान्तकरण हिस्सेदार ग्यारसा, छीतर के द्वारा बेचान दुरूस्त है तथा हनुमान व नान्छा नाबालिग है जिसका बेचान सरंक्षक छीतर द्वारा किया गया है हिस्स हनुमान व नान्छा खारिज किया जाता है बाकी हिस्सा नहीं। परन्तु यहां उल्लेखनिय है कि स्व. काना द्वारा उक्त आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त आराजी का कय किया है तथा उक्त नामान्तकरण खारिज होने के कारण प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा यह वादपत्र पेश किया गया है जिससे यह नहीं कहां जा सकता है कि नामांतकरण खारिज होने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का प्रभाव शून्य हो गया है। जबकि प्रतिवादी 2 एवं 3 ने अपने बालिग होने के कई पश्चातृ अर्थात आज दिनांक तक उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को चुनोति नहीं दी है। सीमाबद्धता अधिनियम की धारा 60 के अनुसार यदि किसी अभिभावक द्वारा नाबालिग की संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, तो उसे निरस्त करने हेतुः

(अ) यदि वयस्क हो चुका नाबालिग आवेदन करता है – अवधि। तीन वर्ष, जो वयस्कता प्राप्त करने की तिथि से प्रारंभ होगी।

(ब) यदि नाबालिग की ओर से उसका वैधानिक प्रतिनिधि आवेदन करता है – (1) यदि नाबालिग वयस्कता प्राप्त करने के तीन वर्षों के भीतर मृत्य को प्राप्त हो जाए – (2) यदि नाबालिग वयस्कता प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए– अवधिः तीन वर्ष, जो नाबालिग की मृत्यु की तिथि से प्रारंभ होगी। अतः उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार प्रतिवादियों की यह आपत्ति पहले ही सीमाबद्धता से बाधित हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चूनोती भी नही दी है। इसलिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सही माना जावेगा, जोकि सही मानने की अवधारणा है। यहां "सही मानने की अवधारणा" का अर्थ है कि जब तक कोई दस्तावेज गलत साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे सही माना जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यह सिद्धांत न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 उक्त तनकीया साबित करने में असमर्थ रहे है अतः उक्त तनकी, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

निर्णय

तनकी संख्या 1 व 2 वादीण के पक्ष में निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के पुराने खसरा नम्बर 291 रकबा 14 बिस्वा, जिसके वर्तमान नया खसरा नम्बर 447 रकबा 0.1800 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 542/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक –01.11.2007

प्रभात जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट (मृतक दौराने दावा)

1/1–नाथी देवी पत्नी स्व. श्री प्रभात जाट
1/2–भूरी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/3–पिंकी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/4–सोनी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/5–सीता देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/6–तारादेवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/7–कोयली देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात जाट
1/8–हरलाल पुत्र स्व. श्री प्रभात जाट
1/9–रामलाल पुत्र स्व. श्री प्रभात जाट
1/10–कालू राम पुत्र स्व. श्री प्रभात जाट
समस्त निवासीयान–ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. रामनारायण जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट, (मृतक दौराने दावा)

2/1–श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी स्व. रामनारायण जाट
2/2–प्रियंका देवी पुत्री स्व. रामनारायण जाट
2/3–सीता देवी पुत्री स्व. रामनारायण जाट
2/4–अशोक पुत्र स्व. रामनारायण जाट
2/5–सुशीला देवी पुत्री स्व. रामनारायण जाट
2/6– मदन पुत्र स्व. रामनारायण जाट
समस्त निवासीयान–ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)

3. भगवान सहाय जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट,
4. बाबूलाल जाट पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट
5. श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्व. श्री कानाराम जाट
6. श्रीमती रूकवा देवी पुत्री स्व. श्री कानाराम जाट
समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान–गोविनदपुरा, ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर (राज.)

...वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र स्व. श्री बिन्जा, (मृतक दौराने दावा)

1/1 रामसिंह पुत्र स्व. छीतर
1/2 कालूराम पुत्र स्व. छीतर
1/3 श्रीमती रमसा देवी धर्मपत्नी स्व. छीतर
1/4 श्रीमती गंगा देवी पुत्री स्व. छीतर
1/5 श्रीमती नन्दी देवी पुत्री स्व. छीतर
1/6 श्रीमती ज्ञाना देवी पुत्री स्व. छीतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

समस्त निवासीयान–ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. हनुमान पुत्र स्व. श्री बिन्जा, (मृतक दौराने दावा)
3. ननच्या पुत्र स्वर्गीय श्री बिंजा,
   समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान– गोविन्दपुरा, ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13.10.2025

तनकी संख्या 1 व 2 वादीण के पक्ष में निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के पुराने खसरा नम्बर 291 रकबा 14 बिस्वा, जिसके वर्तमान नया खसरा नम्बर 447 रकबा 0.1800 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 13.10.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ———
ओहदा ———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner